

## विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन, आबकारी अनुभाग के शासनादेश संख्या-392/XXIII/2020/04(01)/2020/देहरादून-दिनांक 04 अगस्त 2020, आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-5788/सात लाई0-वी0-369/व्यवस्थापन/2020-21/सा0निर्देश/विज्ञप्ति/दिनांक 04 अगस्त, 2020 एवं कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड की विज्ञप्ति संख्या-5798/सात लाई0-वी0-369/व्यव0/2020-21/सा0निर्देश/विज्ञप्ति/देहरादून/दिनांक 04 अगस्त, 2020 के अन्तर्गत आबकारी नीति विषयक नियमावली 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 की अवधि हेतु जनपद की निम्नलिखित विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

क0 सं0	दुकान का नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित राजस्व	दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 09.08.2020 तक 04 माह 09 दिन का राजस्व जो कम किया जाना है	दिनांक 10.8.2020 से 31 मार्च 2021 (07 माह 22 दिन) का राजस्व	अनुज्ञापन शुल्क (कुल राजस्व का 1 प्रतिशत रुपये 1000 के पूर्णांक में)	निर्धारित एम0 जी0डी0	वांछित हैसियत की धनराशि (कुल राजस्व का 10 प्रतिशत)	धरोहर धनराशि (कुल राजस्व का 2.5 प्रतिशत)	माह अगस्त के 22 दिन का अधिमास	प्रथम/द्वितीय प्रतिमूति की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	चम्बा	127622088	45628327	81993761	820000	81173761	8199376	2049844	7631719	10506006
2	शिवपुरी-2	47463432	16969452	30493980	305000	30188980	3049398	762350	2838279	3907243
3	कीर्तिनगर-2	42092861	15049329	27043532	270000	26773532	2704353	676088	2517167	3465195
4	कैम्पटी	35764903	12786914	22977989	230000	22747989	2297799	574450	2138701	2944184
5	छाम	33644659	12028870	21615789	216000	21399789	2161579	540395	2011945	2769692
6	लम्बगांव-2	28008136	10013661	17994475	180000	17814475	1799448	449862	1674862	2305659
7	गडोलिया-2	23054456	8242587	14811869	148000	14663869	1481187	370297	1378653	1897888
8	घुत्तु	20688636	7396743	13291893	133000	13158893	1329189	332297	1237158	1703105
योग		358339171	128115883	230223288	2302000	227921288	23022329	5755582	21428484	29498972

अतः इच्छुक आवेदक रुपये 35000/- आवेदन शुल्क व वांछित धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट के साथ निर्धारित प्रारूप में समस्त औपचारिकताओं के साथ दिनांक 07.08.2020 समय 05.00 बजे अपराह्न तक जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय नई टिहरी में आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि तक एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर दुकान का आवंटन सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से दिनांक 10.08.2020 को प्रातः 10.00 बजे से जिला कार्यालय सभागार में किया जायेगा। उक्त दुकानों से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय व क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक के कार्यालय एवं विभागीय वेबसाईड [www.uttarakhandexcise.org.in](http://www.uttarakhandexcise.org.in) एवं [www.tehri.nic.in](http://www.tehri.nic.in) से प्राप्त की जा सकती है।

जिला आबकारी अधिकारी  
टिहरी गढ़वाल

### ॥ कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, टिहरी गढ़वाल ॥

संख्या: 238 /5-आब/वि0म0दु0-व्यवस्थापन/2020-21/नई टिहरी, दिनांक: अगस्त 05, 2020  
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रचार-प्रसार की कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
3. संयुक्त आबकारी आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
4. उपायुक्त, आई0टी0 अनुभाग, मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ कि विभागीय वेबसाईड पर उक्त को अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. समस्त उप जिलाधिकारी/समस्त तहसीलदार, टिहरी गढ़वाल को नोटिस बोर्ड पर चस्पानगी हेतु।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, टिहरी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को जन सामान्य के अवलोकनार्थ वेबसाईड [www.tehri.nic.in](http://www.tehri.nic.in) पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र दैनिक हिन्दुस्तान/दैनिक जागरण/अमर उजाला को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को न्यूनतम स्पेस में सरकारी दर से दिनांक 06.08.2020 को प्रकाशित होने वाले संस्करण में सम्पूर्ण उत्तराखण्ड परिशिष्ट में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें तथा बिल भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. सूचना पट जिला कार्यालय, टिहरी/सूचना पट नजारत, टिहरी पर जन सामान्य के अवलोकनार्थ।
9. क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित तहसील कार्यालयों में दुकानों का विवरण जनसामान्य के अवलोकनार्थ सूचनापट पर चस्प करवाना सुनिश्चित करें।

जिला आबकारी अधिकारी  
टिहरी गढ़वाल